



न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

2015 पुनरीक्षण

निगरानी 1287-II-15

बेसाहूलाल पुत्र श्री झल्लू राठौर

निवासी ग्राम सामतपुर त. जेला

अनूपपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती स्वरूप सिंह पत्नी ललन सिंह

निवासी ग्राम सामतपुर तहसील व

जिला अनूपपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

मुकेश शर्मा - एडवोकेट
द्वारा आज दि. 2-6-15 को

न्यायालय म.प्र. ग्वालियर

मुकेश शर्मा
2-6-15 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा रा.प्र.कं.
87/अ-3/14-15 में पारित आदेश दिनांक 27.2.2015 के
विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

संक्षिप्त तथ्य -

- यह कि अनावेदक ने ग्राम सामतपुर तहसील अनूपपुर में स्थित भूमि ख.नं. 14/8क/1 रकवा 0.080 हे. भूमि का नक्शा तर्मीम किये जाने बावत तहसीलदार अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से रा. प्र.कं. 87/अ-3/14-15 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक अनूपपुर को तर्मीम हेतु निर्देशित किया राजस्व निरीक्षक अनूपपुर ने दिनांक 14.1.2015 को नक्शा तर्मीम कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार ने

3

स्थान: ग्वालियर
दिनांक: 15

बेसाहूलाल

1/दव

1/वेद

1/मेल.

1/मु. की मु. 1/वेद

1/वेद

1/मे

1/मु

1/लि:

1/वेद

1/की

1/आये.

1/पर व

1/देश

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1287-दो/2015

जिला - अनूपपुर

बेसाहूलाल

विरुद्ध

श्रीमती स्वरूप सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
05-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 87/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27-2-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 02-5-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19</p>